रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05022021-224974
CG-DL-E-05022021-224974

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 64] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 5, 2021/माघ 16, 1942
No. 64] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 5, 2021/MAGHA 16, 1942

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2021

सा.का.नि. 102(अ).—केंद्रीय सरकार, प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 (1978 का 37) की धारा 5 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 25 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रेस परिषद् (व्यक्तियों के संगमों की अधिसूचना संबंधी प्रक्रिया) नियम, 2021 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषएं**.- इन नियमों में.--

   (क) "अधिनियम" से प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 (1978 का 37) अभिप्रेत है;

   (ख) "व्यक्तियों के संगम" से धारा 5 की उपधारा (3) के खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) में निर्दिष्ट प्रर्वगों के व्यक्तियों के संगम अभिप्रेत है;

   (ग) "समिति" से अध्यक्ष द्वारा धारा 8 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम 5 के अधीन गठित संवीक्षा समिति अभिप्रेत है;

   (घ) "धारा" से अधनियम की धारा अभिप्रेत है;

(ङ) उन शब्दों और पदों जो इसमें प्रयुक्त किए गए हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, का वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उनका है।

3. अधिसूचित किए जाने वाले व्यक्तियों के संगम.—प्रथम परिषद् के मामले में केन्द्रीय सरकार और किसी पश्चातवर्ती परिषद् के मामले में पूर्ववर्ती परिषद् का सेवानिवृत होने वाला अध्यक्ष, धारा 5 की उपधारा (4) के अधीन व्यक्तियों के संगमों को अधिसूचित करने के प्रयोजन के लिए, व्यक्तियों के पात्र संगमों से कम से कम दो व्यापक रूप से परिचालित राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में व्यापक प्रकाशन द्वारा दावों को फाइल किया जाना आमंत्रित करेगी।

4. व्यक्तियों के संगम की पात्रता.—नियम 3 के अधीन दावे फाइल करने के लिए पात्र होने के संबंध में, व्यक्तियों के किसी संगम को दावों के फाइल किए जाने की अंतिम तारीख से पूर्व कम से कम छह वर्ष के लिए तत्समय प्रवृत्त सुसंगत विधियों के अधीन रजिस्ट्रीकृत हुआ होना चाहिए और तत्पश्चात् निरंतर अपना कारबार करते रहना चाहिए, और ऐसी सुसंगत विधियों के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक्त: प्रमाणित उसके सबूत में दस्तावेज़ प्रस्तुत करेगा:

परंतु व्यक्तियों के ऐसे संगम के संगम का ज्ञापन इसकी सदस्यता को किसी विशिष्ट धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा तक निर्बंधित नहीं करेगा।

(5) दावों की संवीक्षा.– (1) नियम 3 के अधीन व्यक्तियों के संगमों द्वारा फाइल किए गए दावों की ऐसी संवीक्षा समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी जो परिषद् के सदस्य में से अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले ऐसे तीन व्यक्तियों से मिलकर बनेगी जो किसी भी रीति में ऐसे दावेदार संगमों में से किसी संगम से सहयुक्त नहीं हैं और परिषद् को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

(2) परिषद्, संवीक्षा समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट विचार करने के पश्चात्, समुचित विनिश्चय करेगी और धारा 5 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार व्यक्तियों के संगमों को अधिसूचित करेगी:

परंतु जहां परिषद् के विनिश्चय और संवीक्षा समिति की सिफारिशों में अंतर है, वहां ऐसा विनिश्चय, उपस्थित और मत देने वाले, संवीक्षा समिति के सदस्यों से भिन्न, कम से कम तीन चौथाई सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाएगा और मतों के बराबर होने की दशा में, अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा।

[फा. सं.एम-22013/1/2018-प्रेस]

विक्रम सहाय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th February, 2021

G.S.R. 102(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 25 read with sub-section (4) of section 5 of the Press Council Act, 1978 (37 of 1978), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement**.- (1) These rules may be called the Press Council (Procedure for Notification of Associations of Persons) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions**.- In these rules.-

(a) "Act" means the Press Council Act, 1978 (37 of 1978);

(b) " associations of persons" means associations of persons of the categories referred to in clause (a), clause (b) and clause (c) of sub-section (3) of section 5;

(c) "Committee" means the Scrutiny Committee constituted by the Chairman under rule 5 in exercise of powers under section 8;

(d) " section" means a section of the Act;

(e) words and expressions used but not defined herein shall have the meanings assigned to them in the Act.

3. **Associations of persons to be notified**.- The Central Government in the case of first Council and the retiring Chairman of the previous Council in the case of any subsequent Council shall, for the purpose of notifying associations of persons under sub-section (4) of section 5, invite filing of claims from eligible associations of persons by giving wide publicity in atleast two widely circulated national daily newspapers.

4. **Eligibility of association of persons**.- For being eligible to file claims under rule 3, an association of persons must have been registered under the relevant laws for the time being in force for atleast six years prior to last date of filing of the claims and must be conducting its business continuously thereafter, and shall submit documents in proof thereof, duly certified by the competent authority under such relevant laws:

Provided that the memorandum of association of such association of persons shall not restrict its membership to any particular religion, race, caste or language.

5. **Scrutiny of Claims**.- (1) The claims filed by associations of persons under rule 3 shall be scrutinized by a Scrutiny Committee consisting of three persons to be nominated by the Chairman from amongst members of the Council who are not associated in any manner with any of such claimant associations and shall submit its report to the Council.

(2) The Council shall, after considering the report submitted by the Scrutiny Committee, take appropriate decision and notify the associations of persons as required under sub-section (4) of section 5:

Provided that where the decision of the Council is at variance with the recommendations of the Scrutiny Committee, such decision shall be taken by not less than three-fourth majority of members, other than members of the Scrutiny Committee, present and voting, and in case of equality of votes, the Chairman shall have the casting vote.

[F. No. M-22013/1/2018-Press]

VIKRAM SAHAY, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2021.02.05 19:56:26 +05'30'